संख्या–36 सं.वि0/2004–77(संस्कृति)/2002

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में

निदेशक,
संस्कृति अनुभाग
उत्तरांचल शासन ।

संस्कृति अनुभाग देहरादून दिनांक 25 मार्च 2004

विषयः– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणानुसार देहरादून में ऐतिहासिक गोरखा अंग्रेज युद्ध के महानायक (बलभद्र खंलगा) की स्मृति में स्तुप निर्माण हेतु धनांवटन के सांम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संस्कृति निदेशालय के पत्र संख्या–1352 /सं0वि0उ0 /तृतीय–41 /2003–2004 दिनांक 7 फरवरी, 2004 के संन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2003–04 में गोरखा अग्रेज युद्ध के महानायक (बलभद्र खलंगा) की स्मृति में स्तूप निर्माण हेतु प्राप्त आगणन रू0 14.99 लाख के विपरीत टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त सस्तुत रू0 10.53 लाख (रूपये दस लाख तिरपन हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये इतनी ही धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

(1)– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हों की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(2)– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना स्वीकृत नामर्त है स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4)– एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(5)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि केह मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(6)– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

(7)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(ए)– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

अतः प्रशासनिक विभाग से अनुरोध है कि आगणन की एक प्रति सही कर निर्माण इकाई को शासनादेश के साथ संलग्न कर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– उपरोक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आबटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय । यहा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृत प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए । अतः व्यय करते समय मित व्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेश में निहित निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमादित दरों को, जो दरे शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

4– कार्य कराने से पूमर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्रविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

NIC-139

6– कार्य से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

7– एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूमर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

8– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्च अधिकारीयों एवं भुगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशो तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

9– आगणन में जिन मदों हेतु राशि स्वीकृत की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद से दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय ।

10– निर्माण सामाग्री के प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामाग्री को प्रयोगा में लाया जाय ।

11– उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति–00–आयोजनागत–102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन–10–महान विभूतियों की मूर्ति स्थापना–91–जिलायोजना–25–लघु निर्माण कार्य नामक मद के नामें डाला जायेगा ।

12– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0प0 संख्या––2160/वित्त अनुभाग–2/2003–2004 दिनांक–20–03–04 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या– (1)संस्कृति विभाग/2003–2004 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबराय बिल्डिंग सहारनपूर रोड़ देहरादून ।

2– निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री उत्तरांचल शासन देहरादून ।

3– वित्त अनुभाग–2

4– वरिष्ठकोषाधिकारी, देहरूदन।

5– वित्त अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन ।

6– निदेशक एन0आई0सी0 देहरादून ।

7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव